162

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी

निग- 1845-III-14

परमाल सिंह पुत्र श्री रतन सिंह निवासी नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

1. जगदीश पुत्र श्री प्रेम सिंह
2. गोहर सिंह पुत्र जगदीश सिंह
3. पंजना पुत्र श्री डरूआ कुशवाह
4. जुगल किशोर पुत्र नन्दकिशोर राठौर निवासी नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 23.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2012–13/अ–5 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1. यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम सिकन्दरपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 756/1 रकबा 1.200 एवं 778 रकवा 0.070 हैक्टेयर के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार नरवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर तहसीलदार नरवर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण क्रमांक 24/2013–14/अ–12 पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। एवं उक्त भूमि का सीमांकन विधिवत् रूप से सम्पादित किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 से आदेश पारित किया गया था।

2. यहकि, तहसीलदार नरवर द्वारा कि गयी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध अनावदेकगण द्वारा कोई भी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं कि है। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है, इस प्रकार अब उक्त सीमांकन कार्यवाही को बिना किसी कारण के स्थगित नहीं किया जा सकता है।

2

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–1844–तीन–2014 जिला–शिवपुरी

परमाल सिंह विरूद्ध जगदीश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 07/2012–13/अ–5 में पारित आदेश दिनांक 10–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	